5/

संoसंo–17/अग्रिम 1–02/2024
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक–

विषय :– **डा० कौशल किशोर, प्राध्यापक, औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या–BHR/BHS–2124 से अपने पुत्र के विवाह हेतु 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में ।**

**आदेश :** वित्त विभागीय अधिसूचना सख्या–1127 दिनांक–15.03.2017 एवं बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन–2) नियमावली, 2017 के कंडिका–4 नियम–15 2(ख) एवं 3 (ख) के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति मे पुत्र की शादी के निमित्त अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की स्वीकृति ।

2 डा० किशोर वित्त विभागीय संकल्प सं०–7730(वि0) दिनांक–18.07.1964 मे निहित सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम निकासी की स्वीकृति संबंधी सभी अनुबंधो/शर्तो को पूरा करते हैं।

3. डा० किशोर को उपर्युक्त अप्रत्यपर्णीय अग्रिम की निकासी के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 12443/वि0 दिनांक–05.10.1972 के अनुसार महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की अनिवार्यता नही है।

4. डा० किशोर को उपर्युक्त अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जॉच पत्र पर अनुमोदित राशि में से इसके पूर्व किसी प्रकार की अग्रिम निकासी नही की गई हो।

5. इसमे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**विश्वासभाजन**
**ह०/–**
**(रेणु कुमारी)**
विशेष कार्य पदाधिकारी।

**ज्ञापांक–17/अग्रिम 1–02/2024**–25(17) **पटना, दिनांक–** 09.01.25

**प्रतिलिपि :–** निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना, पिन कोड–800001/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/डा० कौशल किशोर, प्राध्यापक, औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 09/01/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D'Vibha Ji/Letter